सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

आदेश

जयपुर, अगस्त 20, 2020

संख्या प.10(क)/चुनाव(गठन)श्रेणी/डीएलबी/19/1041:- राज्य की निम्न 129 नगरीय निकायो के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 20.08.2020 को पूर्ण होने जा रहा है:-

क्र.संख्या	नगरीय निकाय का नाम	जिला
01.	नगर निगम अजमेर	अजमेर
02.	नगर पालिका किशनगढ	
03.	नगरपालिका विजयनगर	
04.	नगरपालिका केकडी	
05.	नगरपालिका सरवाड	
06.	नगरपालिका राजगढ	अलवर
07.	नगरपालिका खेडली	
08.	नगरपालिका तिजारा	
09.	नगरपालिका खैरथल	
10.	नगरपालिका बहरोड	
11.	नगरपालिका किशनगढबास	
12.	नगरपालिका कुशलगढ	बांसवाडा
13.	नगरपालिका नोखा	बीकानेर
14.	नगरपालिका देशनोक	
15.	नगरपालिका श्रीडूंगरगढ	
16.	नगर परिषद भीलवाडा	भीलवाडा
17.	नगरपालिका शाहपुरा	
18.	नगरपालिका जहाजपुर	
19.	नगरपालिका माण्डलगढ	
20.	नगरपालिका गंगापुर	
21.	नगरपालिका आसीन्द	
22.	नगरपालिका गुलाबपुरा	
23.	नगर नरिषद बांरा	बारां

24.	नगरपालिका अन्ता	
25.	नगर परिषद बून्दी	बून्दी
26.	नगरपालिका लाखेरी	
27.	नगरपालिका केशोरायपाटन	
28.	नगरपालिका नैनवा	
29.	नगरपालिका कापरेन	
30.	नगरपालिका इन्द्रगढ	
31.	नगर परिषद प्रतापगढ	प्रतापगढ
32.	नगरपालिका छोटी सादडी	
33.	नगरपालिका बडी सादडी	चित्तौडगढ
34.	नगरपालिका कपासन	
35.	नगरपालिका बेंगू	
36.	नगर पालिका रतनगढ	चुरू
37.	नगर परिषद सुजानगढ	
38.	नगरपालिका सरदारशहर	
39.	नगरपालिका छापर	
40.	नगरपालिका बीदासर	
41.	नगरपालिका रतननगर	
42.	नगरपालिका तारानगर	
43.	नगरपालिका राजलदेसर	
44.	नगर परिषद डूंगरपुर	डूंगरपुर
45.	नगरपालिका सागवाडा	
46.	नगर परिषद धौलपुर	धौलपुर
47.	नगरपालिका बाडी	
48.	नगरपालिका राजाखेडा	
49.	नगर परिषद दौसा	दौसा
50.	नगरपालिका बांदीकुई	
51.	नगरपालिका लालसोट	
52.	नगरपालिका संगरिया	हनुमानगढ
53.	नगरपालिका नोहर	
54.	नगरपालिका भादरा	
55.	नगरपालिका रावतसर	
56.	नगरपालिका पीलीबंगा	
57.	नगरपालिका रायसिंहनगर	श्रीगंगानगर
58.	नगरपालिका गजसिंहपुर	
59.	नगरपालिका केसरीसिंहपुर	

60.	नगरपालिका श्रीकरणपुर	
61.	नगरपालिका अनूपगढ	
62.	नगरपालिका श्रीविजयनगर	
63.	नगरपालिका सादुलशहर	
64.	नगरपालिका पदमपुर	
65.	नगरपालिका पोकरण	जैसलमेर
66.	नगरपालिका सांचोर	जालोर
67.	नगरपालिका चौमू	जयपुर
68.	नगरपालिका सांभर	
69.	नगरपालिका चाकसू	
70.	नगरपालिका कोटपूतली	
71.	नगरपालिका फुलेरा	
72.	नगरपालिका शाहपुरा	
73.	नगरपालिका विराटनगर	
74.	नगरपालिका जोबनेर	
75.	नगरपालिका बगरू	
76.	नगरपालिका किशनगढ-रेनवाल	
77.	नगर परिषद झालावाड	झालावाड
78.	नगरपालिका भवानीमण्डी	
79.	नगरपालिका झालरापाटन	
80.	नगरपालिका पिडावा	
81.	नगरपालिका अकलेरा	
82.	नगरपालिका नवलगढ	झुन्झुनू
83.	नगरपालिका चिडावा	
84.	नगरपालिका बग्गड	
85.	नगरपालिका खेतडी	
86.	नगरपालिका मण्डावा	
87.	नगरपालिका मुकुन्दगढ	
88.	नगरपालिका सूरजगढ	
89.	नगरपालिका उदयपुरवाटी	
90.	नगरपालिका पिपाडसिटी	जोधपुर
91.	नगरपालिका बिलाडा	
92.	नगरपालिका रामगंजमण्डी	कोटा
93.	नगरपालिका ईटावा	
94.	नगर परिषद नागौर	

95.	नगरपालिका लाडनूं	नागौर
96.	नगरपालिका मेडतासिटी	
97.	नगरपालिका कुचामनसिटी	
98.	नगरपालिका परबतसर	
99.	नगरपालिका नांवा	
100.	नगरपालिका कुचेरा	
101.	नगरपालिका मूण्डवा	
102.	नगरपालिका डेगाना	
103.	नगरपालिका सोजतसिटी	पाली
104.	नगरपालिका सादडी	
105.	नगरपालिका बाली	
106.	नगरपालिका तख्तगढ	
107.	नगरपालिका रानीखुर्द	
108.	नगरपालिका जैतारण	
109.	नगरपालिका खुडाला फालना	
110.	नगरपालिका देवगढ	राजसमंद
111.	नगर परिषद सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
112.	नगर परिषद गंगापुरसिटी	
113.	नगर परिषद हिण्डौन	करौली
114.	नगर परिषद करौली	
115.	नगर पालिका टोडाभीम	
116.	नगरपालिका फतेहपुर-शेखावाटी	सीकर
117.	नगरपालिका लक्ष्मणगढ	
118.	नगरपालिका रामगढ शेखावाटी	
119.	नगरपालिका श्रीमाधोपुर	
120.	नगरपालिका खण्डेला	
121.	नगरपालिका रींगस	
122.	नगरपालिका लोसल	
123.	नगरपालिका आबूरोड	सिरोही
124.	नगरपालिका निवाई	टोंक
125.	नगरपालिका देवली	
126.	नगरपालिका उनियारा	
127.	नगरपालिका फतेहनगर	उदयपुर
128.	नगरपालिका भीण्डर	
129.	नगरपालिका सलूम्बर	

राज्य में कोरोना वायरस के प्रभाव व संक्रमित नागरिको की संख्या में वृद्धि के कारण उक्त 129 नगरीय निकायो के निर्वाचन की कार्यवाही कार्यकाल पूर्ण होने की दिनांक 20.08.2020 से पूर्व नहीं हो सकी है। अत: राज्य सरकार उक्त 129 नगरीय निकायो में पदस्थापित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका को नगरीय निकाय में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त करती है।

उक्त प्राधिकारी/प्रशासक नगर निगम/परिषद/पालिका के निर्वाचित बोर्ड की स्थापना होने तक नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यो का पालन करेंगे तथा उक्त प्राधिकारी/प्रशासक को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रयोजनो के लिए नगरपालिका (Municipality) समझा जावेगा। उक्त प्राधिकारी/ प्रशासक नगरीय निकाय हेतु आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का कार्य भी करेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।